जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– जनपद बिजनौर **दिनॉक 18.07.2025**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना किरतपुर एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभारी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 30,000/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

कार्यवाही: –

दिनांक 27.08.2018 को वादी ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त मोनू पुत्र जुल्फकार निवासी ग्राम मुझेडी थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाया गया। इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 247/18 धारा 363 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियोग में धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी। स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुये आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उपरोक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 18.07.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट द्वारा अभियुक्त मोनू पुत्र जुल्फकार निवासी ग्राम मुझेडी थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर को उपरोक्त अभियोग की धारा 376/363 भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:–

1– मोनू पुत्र जुल्फकार निवासी ग्राम मुझेडी थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर।

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 18.07.2025**

डिजिटल अरेस्ट व साइबर ठगी से बचाव हेतु जनपद में विशेष साइबर जागरूकता अभियान के संबंध में।

जनपद में *डिजिटल अरेस्ट* एवं *साइबर ठगी* जैसी घटनाओं की रोकथाम तथा आमजन को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु **विशेष साइबर जागरूकता अभियान** संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल माध्यमों से हो रहे अपराधों जैसे फर्जी कॉल, लिंक शेयरिंग, ओटीपी/पिन ठगी, डिजिटल अरेस्ट आदि से बचाव हेतु सतर्क एवं सजग बनाना है।

उपरोक्त अभियान के क्रम में जनपद बिजनौर के समस्त थानों द्वारा थाना क्षेत्रों में स्कूल/कॉलेजों, नगर पालिकाओं/ग्राम सभाओ व सार्वजनिक स्थान जैसे बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि पर जाकर परस्पर संवाद, पोस्टर, स्लोगन इत्यादि जैसे रचनात्मक सेशन आयोजित कर अधिक से अधिक व्यक्तियों को साइबर अपराध (डिजिटल अरेस्ट व साइबर ठगी) के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर साइबर क्राइम हेल्प लाइन नं0 1930 व वेबसाइट www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी जा रही है।

REDMI NOTE 12 PRO 5G

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चांदपुर **दिनांक 18.07.2025**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 129/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/194(2)/125 बीएनएस, 30 आर्म्स एक्ट व 7 सीएलए एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 12.03.2025 को उ0नि0 श्री संदीप पंवार नियुक्ति थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 10.03.2025 को अभियुक्तगण 1.प्रशान्त कुमार पुत्र सतेन्द्र निवासी ग्राम बकेना थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर 2.शुभम पुत्र नन्नू निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर 3.अंकित पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम कौशल्या थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर व 03 साथी नाम पता नामालूम द्वारा मोटर साईकिल पर सवार होकर अवैध असलाहो व लाठी डण्डे लेकर बास्टा मैन मार्केट पुराना कुआ के पास जन सामान्य को आतंकित करते हुए हाथो में लिये असलाहो से खुलेआम हवाई फायरिंग करना व मौके से 05 अदद खोखे 315 बोर बरामद हुए। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 129/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/194(2)/125 बीएनएस व 30 आर्मस एक्ट व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अंकित पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम कौशल्या थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र के आधार पर अभियोग धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अंकित पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम कौशल्या थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामगदीः-

एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास अंकित उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0 129/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/194(2)/125 बीएनएस, 30 आर्म्स एक्ट व 7 सीएलए एक्ट।

2.मु0अ0सं0 624/24 धारा 115(2),117(2),351(3) BNS थाना चांदपुर बिजनौर।

3.मु0अ0सं0 88/23 धारा 336,504,506 भादावि थाना हल्दौर बिजनौर।

4.मु0अ0सं0 198/23 धारा 323,504,506 भादावि व 3(2)(5a) SC/ST एक्ट थाना चांदपुर बिजनौर

5.मु0अ0सं0 378/23 धारा 323,336,341,504,506 भादवि थाना चांदपुर बिजनौर।

6.मु0अ0सं0 761/21 धारा 323,504,506 भादावि थाना चांदपुर बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 हिमांशु पंवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.हे0का0 467 रामकुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

3.का0 1905 जगदीश तोमर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक - 18.07.2025**

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.07.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	नूरपुर	मनोज कुमार पुत्र जगदीश सिंह नि0 ग्राम मुजाहिदपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2	नूरपुर	सम्राट पुत्र स्व0 रामपाल सिंह नि0 ग्राम राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3	धामपुर	फिरदौस उर्फ सैनी पत्नी खालिद निवासी ग्राम अथाई शेख थाना धामपुर जनपद बिजनौर

थाना नूरपुर

थाना धामपुर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नजीबाबाद दिनॉक 18.07.2025

थाना नजीबाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर मारपीट की वायरल वीडियो से संबंधित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 17.07.2025 को वादी हिमांशु कुमार पुत्र मुनेश कुमार निवासी ग्राम जगदीशपुर उर्फ बाजोपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर अपने दोस्तो के साथ मोटरसाइकिल से लुकादडी जा रहा था तभी रास्ते में अभियुक्तगण 1.गुलशन पुत्र अमर सिंह 2.पंकज लालू धनौरा 3.सागर पुत्र पीयोम निवासी लालूवाला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर व 03–04 अज्ञात लडके जो दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आये और वादी हिमांशु उपरोक्त के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की और मारपीट का वीडियो बनाया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये, उसके उपरान्त अभियुक्तगण द्वारा मारपीट के वीडियों को वायरल कर दिया। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 254/25 धारा 115(2)/352/351(2)/126(2)/191(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 18.07.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त सागर पुत्र पीयोम निवासी लालू वाला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. सागर पुत्र पीयोम निवासी लालू वाला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 मौ0 कय्यूम अली थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2.आरक्षी 202 अशोक थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी 2086 सीताराम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शेरकोट **दिनांक – 18.07.2025**

थाना शेरकोट क्षेत्रान्तर्गत बाबू जी मेमोरियल स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलट जाने एवं पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही के सम्बंध में।

विवरण –

अवगत कराना है कि आज दिनांक 18.07.2025 को समय लगभग प्रातः 07:45 बजे बाबू जी मेमोरियल स्कूल की बस (पंजीकरण संख्या UP75H9414) ग्राम नंदगांव/मधोरा आदि गांवों से बच्चों को लेकर शेरकोट की ओर आ रही थी कि रास्ते में सड़क पर संतराम निवासी ग्राम नाथादोई की बैलगाड़ी को बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेत में पलट गई। बस में लगभग 25 बच्चे सवार थे, जिनमें से 03 बच्चों (आयु लगभग 08–10 वर्ष) को हाथ एवं कंधे में चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी धामपुर भेजा गया है; सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं।

बस की फिटनेस अवधि समाप्त पाई गई; वाहन को कब्जे में लेकर सीज किया गया है। बस संचालक एवं चालक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से आरटीओ से समन्वय स्थापित कर जिला स्तर पर स्कूल बसों की विशेष चेकिंग कराई जा रही है। मौके पर शांति एवं कानून-व्यवस्था सामान्य है।